

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(डॉ० सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

08 / 2024
30.09.2024

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी कार्यालय टोंक
- प्रार्थी

बनाम

मै० श्री श्याम पवित्र भोजनालय पक्का बंधा टोंक

- अप्रार्थी

जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की
धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थित:-

1- परोकार सरकार - प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.03.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 19.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी बहमराह जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी टोंक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरुपयोग के निरीक्षण/जांच हेतु संयुक्त जांचदल के रूप में टोंक शहर श्री श्याम पवित्र भोजनालय पक्का बंधा टोंक मौके पर पहुंचे। मौके पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मौके पर जब्त कर निरीक्षण प्रपत्र मय अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र०सं०	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1.	370743T	BPCL	14.2	15.3	28.3	13.0
2.	419648	BPCL	14.2	15.9	30.0	14.1
योग						27.1



जिला कलेक्टर
टोंक

उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन आदेश 2000) का स्पष्ट उल्लघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 27.1 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए, उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 19.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी बहमराह जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी टोंक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरुपयोग के निरीक्षण/जांच हेतु संयुक्त जांचदल के रूप में टोंक शहर श्री श्याम पवित्र भोजनालय पक्का बंधा टोंक मौके पर पहुंचे। मौके पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मौके पर जब्त कर निरीक्षण प्रपत्र मय अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। इस प्रकार मौक पर उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि श्री बलराम गुर्जर द्वारा घरेलू गैस सिलिण्डरो का दुरुपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया। जिसके बारे में कोई साक्ष्य उनके द्वारा मौके पर नहीं दिये गये। अतः 2 गैस सिलेण्डर को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु बुन्देल गैस एजेन्सी टोंक के प्रतिनिधि श्री रिकू गोयर पुत्र श्री प्रभुलाल गोयर निवासी हीरा चौक टोंक की सुपुर्दगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द बुर्द नहीं करें। उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन आदेश 2000) का स्पष्ट उल्लघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 27.1 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए, उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

परोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि० 19.09.2024 के अनुसार मै० श्री श्याम पवित्र भोजनालय पक्का बंधा टोंक कि दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 02 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर व्यवसायिक कार्य मे प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।




जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र०सं०	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1.	370743T	BPCL	14.2	15.3	28.3	13.0
2.	419648	BPCL	14.2	15.9	30.0	14.1
योग						27.1

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर रिकूअजय तथा बलराम के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनामे पर भी रिकूअजय तथा बलराम के हस्ताक्षर हैं तथा बुन्देल गैस एजेन्सी टोंक के प्रतिनिधि श्री रिकू के हस्ताक्षर हैं जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से व्यवसायिक कार्य कर दुरुपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 02 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 27.1 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर टोंक
टोंक

